लोक शिक्षण संचालनालय,
मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल–462023

क्रमांक/अति. शि./2025–26/ 199 भोपाल, दिनांक 26/06/2025

प्रति

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2025–26 में रिक्त पदो के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भः– 1. संचालनालय का पत्र क्र./127 दिनांक 01.05.2025।
2. संचालनालय का पत्र क्र./2013 दिनांक 04.07.2019।

म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत शासकीय विद्यालयों मे प्रत्येक सत्र मे शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरूद्ध ऑनलाईन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिपेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2025–26 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु पोर्टल पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें–

1. अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण :–

- **लॉन्ग टर्म रिक्तियां (Long Term)**– शैक्षणिक सत्र 2025–26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय मे नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यक लाॅन्ग–टर्म रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जायेगी। **विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा, कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों (सेक्शन) एवं समयसारणी (टाईम–टेबिल) में कुल कालखण्ड की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेगें। यह पूर्व से निर्धारित है, कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 कालखण्ड एवं अधिकतम 6 कालखण्ड मे अध्यापन कराएगें। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथिं शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्टि करें।**
- **अतिरिक्त रिक्तियां**– ऐसे नियमित शिक्षक जो **B.ED/M.ED** पाठ्यक्रम में गत वर्ष से प्रवेशित है, उनके कारण उद्भूत रिक्ति एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्ति संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जायेगी।

2. अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही–

2.1 शैक्षणिक सत्र 2025–26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 अन्तर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित है। प्रमाणित रिक्तियों के विरूद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को उपस्थित कराया जायेगा।

2.2 संदर्भित पत्र क्र–2 की कण्डिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नही रखा जाएगा।

2.3 अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय–सारणी–

प्रथम चरण मे अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समयसारणी–			
शैक्षणिक सत्र 2024–25 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही–			
क्र.	गतिविधियाँ	कार्यवाही स्तर	समयसीमा
01	लॉंग–टर्म रिक्ति अपडेशन	शाला प्रभारी	26.06.2025 से 29.06.2025 तक
02	अतिरिक्त रिक्ति हेतु मांग दर्ज करना	संकुल प्राचार्य	26.06.2025 से 29.06.2025 तक
03	अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन।	राज्य स्तर से	30.06.2025
04	विगत सत्र मे कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना।	आवेदक द्वारा	30.06.2025 से 02.07.2025 तक
05	शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित कराना।	शाला प्रभारी द्वारा	01.07.2025 से 03.07.2025 तक

2.4 अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवदेक का जिस पेनल का स्कोर कार्ड है, केवल उसी पेनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेगें।

2.5 यदि किसी पेनल मे गतवर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थी तथा इस वर्ष 1 रिक्ति है, तो ऐसी स्थिति मे सर्वाधित स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जायेगा। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया मे भाग ले सकेगें।

2.6 विगत सत्र 2024–25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है, उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आई.डी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।

2.7 विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय मे उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड मे दर्ज शैक्षणिक/व्यावसायिक/शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेगें। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को Reject करने की कार्यवाही पोर्टल पर करेगें।

2.8 अतिथि शिक्षक ऑनलाईन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः संबंधित विद्यालय में दिनांक 02.07.2025 तक देगें। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नही देने पर एवं शाला मे रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समयसीमा मे उपस्थित नही होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक/उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा।

2.9 शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाईन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर, हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेगें तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देगें।

3. प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिये आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मैरिट क्रम के आधार पर दिये गये विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा जिसकी **संभावित समयसारणी** निम्नानुसार है–

3.1 द्वितीय चरण मे अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समयसारणी––**(संभावित)**		
क्र.	गतिविधियाँ	समयसीमा
01	शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन।	05.07.2025
02	इच्छुक आवेदको द्वारा शाला विकल्प चयन करना।	05.07.2025 से 07.07.2025 तक
03	शाला विकल्प चयन के आधार पर मैरिट क्रम में शाला आवंटन।	09.07.2025
04	अतिथि शिक्षक को दी गई शाल हेतु GFMS पोर्टल पर आवेदको द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना।	10.07.2025 से 12.07.2025 तक
05	शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर Accept/Reject कर Accept की स्थिति में उपस्थित कराना।	10.07.2025 से 12.07.2025 तक

4. सामान्य निर्देश –

4.1 शैक्षणिक सत्र 2025–26 में अतिथि शिक्षक की कार्यवाही पूर्णतः ऑनलाईन है, किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाईन आमंत्रित नही किया जावेगा।

4.2 अतिथि शिक्षक की सेवायें पूर्णतः अस्थायी है। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

4.3 अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रतिदिवस ई–गवर्नेंस प्लेटफार्म के एप **"हमारे शिक्षक"** के माध्यम से शाला प्रारम्भ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाईन दर्ज की जायेगी तथा शाला बन्द होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। उपस्थिति दर्ज की जायेगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाईन उपस्थिति नही लगाएगें उन्हे मानदेय की पात्रता नही होगी।

4.4 अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयसीमा मे उपस्थिति एप के माध्यम से दर्ज नही करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नही होगा।

उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित् करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(के.के.द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्रमांक / अति. शि. / 2025–26 / 200 भोपाल, दिनांक 26/06/2025

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. कलेक्टर समस्त जिले।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
6. समस्त शाला प्रभारी (शासकीय विद्यालय, स्कूल शिक्षा विभाग) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. Nicsi भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.